उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–1405–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023–29–प्र0सु0/2002 टीसी दिनाँक : 21.07.2023

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0, डी0एल0डब्लू0, मडुवाडीह, वाराणसी।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉंचल वि0वि0नि0लि0, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणॉंचल वि0वि0नि0लि0, बी–15 निर्भय नगर, गैलाना रोड, आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमाँचल वि0वि0नि0लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को–14/71, केसा हाउस, सिविल लाइन्स, कानपुर।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वाणिज्य)/(वित्त)/(वितरण)/(आई0टी0)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :– उ0प्र0 विधान सभा एवं उ0प्र0 विधान परिषद के मा0 सदस्यों के साथ संचार/फीडबैक माध्यम सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निम्न वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन करें:–

1. **सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाये कि वे अपने क्षेत्र के मा0 जन प्रतिनिधियों तथा विभिन्न समिति के मा0 सदस्यों के दूरभाष नम्बर को अपने मोबाइल में सेव** (Save) **कर लें।**
2. **मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा दूरभाष पर सम्पर्क करने पर अगर किसी कारणवश फोन कॉल नहीं उठाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्राथमिकता पर मा0 जनप्रतिनिधि से शीघ्रातिशीघ मोबाइल पर संवाद स्थापित कर लिया जाये।**

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कारपोरेशन के पत्र संख्या–1196–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023–29–प्र0सु0/2002 दिनांक 17.06.2023 (**छायाप्रति संलग्न**), पत्र संख्या–1591/ए0क्यू0–25–पाकालि/2023 दिनांक 31.05.2023 (**छायाप्रति संलग्न**) एवं पत्र संख्या–376–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023–29–प्र0सु0/2002 दिनांक 28.03.2023 (**छायाप्रति संलग्न**) द्वारा पूर्व में भी उचित दिशा–निर्देश परिचालित किया गया है।

कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1405–(i)–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट https://www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–1196–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023–29–प्र0सु0/2002 दिनाँक : 17 .06.2023

1. प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0,
डी0एल0डब्लू0, मडुवाडीह,
वाराणसी।

2. प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉंचल वि0वि0नि0लि0,
4–ए, गोखले मार्ग,
लखनऊ।

3. प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणाँचल वि0वि0नि0लि0,
बी–15 निर्भय नगर, गैलाना रोड,
आगरा।

4. प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमाँचल वि0वि0नि0लि0,
विक्टोरिया पार्क,
मेरठ।

5. प्रबन्ध निदेशक,
केस्को–14/71, केसा हाउस,
सिविल लाइन्स,
कानपुर।

6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वाणिज्य)/(वित्त)/(वितरण)/(आई0टी0)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.05.2023 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा अनुभाग–03, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–992/चौबीस–पी–3–2023 दिनांक 30 मई, 2023 (**प्रति संलग्न**) जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24 मई, 2023 को आहूत बैठक में जनपदीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यो के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा अनुभाग–03, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–992/चौबीस–पी–3–2023 दिनांक 30 मई, 2023 को संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24 मई, 2023 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1196–(i)–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 शासन से प्राप्त उक्त पत्र की छाया प्रति सहित दिशा–निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट https://www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या-992 / चौबीस–पी–3–2023

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ

ऊर्जा अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2023

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24–05–2023 को आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 24 मई, 2023 को जनपदीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:–

1. जनसुनवाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करवायी जाये। जो भी शिकायतें प्राप्त हों उन्हें रूटीन तरीके से निस्तारित न किया जाये, वरन् उनका गुणतापरक, सन्तोषजनक और समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित होना चाहिए।
2. सभी अधिकारी अपने–अपने मुख्यालय पर रहें और समय पर कार्यालय आयें।
3. जिन कार्यालयों में टेलीफोन की लैंडलाइन सुविधा लगी हुई है वह चालू हालत में रहे ताकि उस पर सम्पर्क किया जा सके।
4. किसी भी अधिकारी को मुख्यालय से सम्बद्ध न किया जाये।
5. जिन अधिकारियों को अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है वह केवल विकेन्द्रीकरण के नाम पर औपचारिकतावश न रहे, वरन् उनका उत्तर दायित्व भी निर्धारित होना चाहिए।
6. मा0 जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान दिया जाये। मा0 जनप्रतिनिधियों के जब भी कोई टेलीफोन आते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सुना जाये। यदि आप किन्हीं कारणों से व्यस्त हैं तो उन्हें कालबैक भी करेंगे।
7. मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी निधियों से जब भी कोई कार्य स्वीकृत किया जाये तो उन निधियों की स्वीकृति समयबद्ध तरीके से जारी हो और उन पर समयबद्ध कार्यवाही की जाये और कृत कार्यवाही से सम्बन्धित मा0 जनप्रतिनिधि को अवगत भी कराया जाये।
8. मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा जिन समस्याओं से अवगत कराया जाये उनका त्वरित निस्तारण कराया जाये और कृत कार्यवाही से सम्बन्धित मा0 जनप्रतिनिधि को अवगत भी कराया जाये।
9. उपभोक्ताओं के कनेक्शन अनावश्यक न काटे जायें। उन्हें सही बिल निर्गत किये जायें।
10. गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ रही है। यह सुनिश्चित किया जाये कि बिजली की सतत आपूर्ति बनी रहे और आवश्यक सेवाओं को प्रत्येक दशा में बिजली मिलती रहे।
11. यदि कहीं कोई ट्रान्सफार्मर या केबल इत्यादि खराब होती है तो उन्हें तत्काल ठीक कराया जाये।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

निदेशक(वाणि० एवं प्रशा०)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(श्री ... यादव)
अपर सचिव–प्रथम

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित:–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226001
☎(0)0522–2288377

संख्या : 1591 /ए0क्यू0–25–पाकालि/2023 दिनाँक : 31.05.2023

1. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0।
शक्ति भवन, लखनऊ।

2. प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/ पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0/केस्को।
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।

महोदय,

उ0प्र0 विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था सम्बन्धी जाँच समिति के मा0 सभापति एवं सदस्यो का मोबाइल नम्बर जनपद स्तर तक के अपने अधीनस्थ कार्मिकों को उपलब्ध करा दिए जाये।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 07.06.2023 तक अवगत करायें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, समिति अनुभाग–01, उ0प्र विधान परिषद, लखनऊ।

d:\room no 419\room no. 419 uptodate\md pcl new letter head.docx

प्रदेशीय विधुत व्यवस्था सम्बन्धी जांच समिति

सभापति समिति डा0 जयपाज सिंह 'व्यस्त', मुरादाबाद मो० नं० 9412246045

1	डा0 दिनेश शर्मा, लखनऊ	सदस्य	मो०नं० 9455003929
2	श्री रवि शंकर सिंह 'पप्पू भैया', बलिया	सदस्य	मो० नं० 9415905859
3	श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिन्सू', जौनपुर	सदस्य	मो० नं० 8795649494
4	श्री विशाल सिंह 'चंचल', गाजीपुर	सदस्य	मो० नं० 9565000001
5	श्री कुँवर महराज सिंह, बरेली	सदस्य	मो० नं० 9412334135
6	श्री दिनेश कुमार गोयल, गाजियाबाद	सदस्य	मो० नं० 9810320945
7	श्री अश्वनी त्यागी, अमेठी	सदस्य	मो० नं० 9837652254
8	श्री अविनाश सिंह चौहान, एटा	सदस्य	मो० नं० 9415154100
9	श्री अशोक कटारिया, बिजनौर	सदस्य	मो० नं० 9410209999
10	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, रायबरेली	सदस्य	मो० नं० 8765955029

Contents owned, maintained and updated by Vidhan Parisad, Government of Uttar Pradesh.
Site designed and hosted by National Informatics Centre, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow

Best viewed in 1024x768 pixels

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं0 800 पी0एस0ए0एस0-1/23

संख्या–376–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023–29–प्र0सु0/2002, दिनाँक 28.03.2023

1. प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0,
डी0एल0डब्लू0, मडुवाडीह,
वाराणसी।

2. प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल वि0वि0नि0लि0,
4–ए, गोखले मार्ग,
लखनऊ।

3. प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणाँचल वि0वि0नि0लि0,
बी–15 निर्मय नगर, गैलाना रोड,
आगरा।

4. प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमाँचल वि0वि0नि0लि0,
विक्टोरिया पार्क,
मेरठ।

5. प्रबन्ध निदेशक,
केस्को–14/71, केसा हाउस,
सिविल लाइन्स,
कानपुर।

6 निदेशक(वाणिज्य)/(वित्त)/(वितरण)/(कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :–मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य–प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या–1210–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2021–29–प्र0सु0/2002 दिनांक 29.09.2021 **(छायाप्रति संलग्न)**, पत्र संख्या–702–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2021–29–प्र0सु0/2002 दिनांक 19.06.2021 **(छायाप्रति संलग्न)**, पत्र संख्या–709–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2020–29–प्र0सु0/2002 दिनांक 13.08.2020 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं संख्या–1076–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019–29–प्र0सु0/2002 दिनांक 07.12.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त पत्रों के द्वारा शासन के पत्र संख्या–555/90–सं0शि0प0का0/17–2 (सं0शि0)/15 दिनाँक 18.10.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** के बिन्दु–04 में दिये गये निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है :–

"सभी सरकारी अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि उनके द्वारा मा0 जनप्रतिनिधियों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार (acknowledge) की जाये और शीघ्रतापूर्वक सम्यक विचारोपरान्त उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाये। अधिकारी मा0 जनप्रतिनिधि के फोन आने पर कॉल रिसीव (Receive) करेगें। साथ ही बैठक में होने/अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर मा0 जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे। यदि सांसद/राज्य विधानमण्डल के मा0 सदस्यगण, जनप्रतिनिधि के रूप में जनहित से जुडे कार्यों के सम्बन्ध में उनसे भेंट करते हैं तो उन्हें यथोचित सम्मान दें, अपनी सीट से खडे हो कर उनका स्वागत करें तथा उनसे यथास्थिति जलपान/जलग्रहण हेतु आग्रह करेंगे। उनसे वार्ता करते समय अधिकारी यदि उनके अनुरोध या सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हों, तो अधिकारी द्वारा अनुरोध को स्वीकार न किये जाने के कारणों से मा0 सदस्य को विनम्रतापूर्वक अवगत करा देना चाहिए। अधिकारियों से यह भी अपेक्षित होगा कि वह राज्य विधानमण्डल के मा0 सदस्यों को खडे होकर सम्मानपूर्वक विदा करेंगे।"

3. संज्ञान में आया है कि प्रश्नगत विषय में कारपारेशन तथा शासन स्तर से निरन्तर दिशा–निर्देश जारी होने के बाद भी मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/प्रोटोकाल एवं सौजन्य–प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है।

4. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे पुनः अनुरोध है कि मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य–प्रदर्शन हेतु समय–समय पर कारपोरेशन तथा शासन स्तर से जारी किये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :–यथोपरि।

सं0सु0 (स0प्र0)/(का0वि0) (स0 कार्य)
आ0 अ0 (स0)/नि (का0प्र0)/उप सचिव (कार्य)
उप सचिव (अ0श0प्र0)

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

29/03

क्रमशः.......(2)

Ph-0522-221-8327/8423 Mail ID – dsmpl01uppcl@gmail.com

(सी0 पी0 यादव)
अपर सचिव–प्रथम

अनु0 सचिव | प0 (प्र0)
29/03/2023

संख्या–376–(i)–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. महानिदेशक (मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति)/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर निकट मंत्री आवास, गोमती नगर, लखनऊ।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

Ph-0522-221-8327/8423 Mail ID – dsmpi01uppcl@gmail.com